



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आश्विन, 1947 (श०)

संख्या - 458 राँची, बुधवार,

8 अक्टूबर, 2025 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

निदेश

7 अक्टूबर, 2025

सं. 576/3/ईवीएम/2025/एसडीआर/खण्ड-I-यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह उपबंध किया गया है कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान करने और मतों के अभिलेखन का यथाविहित ऐसा तरीका अपनाया जाए, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट किया जाए;

2. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथा-अनुमोदित ऐसे डिजाइन वाला ड्रॉप बॉक्स युक्त एक प्रिंटर भी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में मत के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ जोड़ा जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश दिया जाए;

3. यतः, निर्वाचन आयोग ने अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/316/2025 और सं. ईसीआई/पीएन/317/2025 दोनों दिनांक 06 अक्टूबर, 2025 के जरिए घोषित बिहार विधान सभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन एवं 7 राज्यों के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (अनुलग्नक के अनुसार) के उपचुनावों में सभी परिस्थितियों पर विचार किया है, और निर्वाचन आयोग संतुष्ट है कि उपर्युक्त

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान कराने के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) और पेपर ट्रेल [मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन (वीवीपैट)] मुद्रित करने के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं। मतदान कार्मिक ईवीएम और 'वीवीपैट प्रिंटरों को कुशलतापूर्वक संभालने में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं और मतदाता भी ईवीएम और वीवीपैट प्रिंटरों के प्रचालन से पूर्ण रूप से अवगत हैं।

4. अब, इसलिए, भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा **10.10.2025 और 13.10.2025 को अधिसूचित किए जाने वाले बिहार विधानसभा के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और 7 राज्यों के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (अनुलग्नक के अनुसार), को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है**, जिनमें निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 और इस विषय पर निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुपूरक अनुदेशों के अंतर्गत विहित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटरों के माध्यम से मत डाले और अभिलिखित किए जाएंगे।

5. निर्वाचन आयोग, एतद्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलोर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा-विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट प्रिंटरों जिन्हें सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मत डालने और अभिलिखित करने के लिए उक्त मशीनों से जोड़ा जाएगा, के डिजाइन को भी अनुमोदित करता है।

आदेश से,

(एस.बी.जोशी)

प्रधान सचिव

अनुलग्नक

क्रम सं.	राज्य	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
1.	जम्मू तथा कश्मीर	27-बडगम
2.		77-नगरोटा
3.	राजस्थान	193-अंता
4.	झारखण्ड	45-घाटशिला(अ.ज.जा.)
5.	तेलंगाना	61-जुबली हिल्स
6.	पंजाब	21-तरन तारन
7.	मिजोरम	2-डम्पा(अ.ज.जा.)
8.	उड़ीसा	71-नुवापाडा

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(के० रवि कुमार)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

DIRECTION

7th October, 2025

No. 576/3/EVM/2023/SDR-Vol.-I--Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by voting machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify; and

2. Whereas, as per the proviso to Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct; and

3. Whereas, the Election Commission has considered the circumstances in **current general election to the Legislative Assembly of Bihar and bye election to 8 Assembly Constituencies of 7 States (as per annexure) announced vide the Election Commission's Press Notes No. ECI/PN/316/2025 and ECI/PN/317/2025 both dated 06th October, 2025**, and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines (EVMs) and Printers for printing Paper Trail [Voter Verifiable Paper Audit Trail(VVPAT)] are available for taking the poll in the above said Assembly Constituencies. The polling personnel are well trained in efficient handling of EVMs and 'VVPAT Printers' and the electors are also fully conversant with the operation of the EVMs and the VVPAT Printers;

4. Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, and Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby **specifies all the Assembly Constituencies in Bihar and 8 Assembly Constituencies of 7 States (as per annexure) to be notified on 10.10.2025 and 13.10.2025**, as the constituencies in which the votes, shall be given and recorded by means of EVMs and VVPAT printers in the manner prescribed, under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Election Commission from time to time on the subject.

5. The Election Commission also hereby approves the design of EVMs and VVPAT Printers as developed by the Bharat Electronics Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, which shall be attached to the said machines, to be used for the giving and recording of votes in all the Constituencies.

By Order,

(S.B.JOSHI)
PRINCIPAL SECRETARY

Annexure

Sl. No.	Name of State	Assembly Constituency No. & Name
1.	Jammu and Kashmir	27-Budgam
2.		77-Nagrota
3.	Rajasthan	193-Anta
4.	Jharkhand	45-Ghatsila(ST)
5.	Telangana	61-Jubilee Hills
6.	Punjab	21-Tarn Taran
7.	Mizoram	02-Dampa(ST)
8.	Odisha	71-Nuapada
